

# कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-०४/ 139

/अनिवार्य स्थानान्तरण/ 2019-20 दिनांक 25 जून, 2019  
अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपदान्तर्गत राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-4 में अंकित तैनाती स्थल पर उसी पद एवं वेतनकम में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती बबली रानी	रा०प्रा०वि० थाती	रा०प्रा०वि० खन्यासणी, मोरी, उत्तरकाशी।	—
2	सुशीला चौहान	रा०प्रा०वि० निचला उत्तराँ	रा०प्रा०वि० ओसला, मोरी, उत्तरकाशी।	—
3	सरोज पवार	रा०प्रा०वि० सिरोर	रा०प्रा०वि० उपलापांव, मोरी, उत्तरकाशी।	—
4	हेमलता बडोनी	रा०प्रा०वि० श्रीकोट	रा०प्रा०वि० भितरी, मोरी, उत्तरकाशी।	—
5	अम्बिका डिमरी	रा०प्रा०वि० मटियाली	रा०प्रा०वि० मलाटा, मोरी, उत्तरकाशी।	—
6	मीना असवाल	रा०प्रा०वि० मटियाली	रा०प्रा०वि० कोटी मणपा, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
7	ललिता चौहान	रा०प्रा०वि० चकगांव	रा०प्रा०वि० ईशाली, मोरी, उत्तरकाशी।	—

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :—

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती स्थल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन करेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराते समय निम्नांकित बिन्दुओं का परीक्षण किया जायेगा :—

- 1— स्थानान्तरित विद्यालय जहां तैनाती दी गयी है वह दुर्गम श्रेणी का विद्यालय हो।
- 2— विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त हो।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(जितेन्द्र संक्षेप)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
उत्तरकाशी।

पृ०सं०/ बेसिक-०४/ 1715-1800/ अनिवार्य स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 2— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3— मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4— वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उपकोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 5— समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार कढ़ाई से पालन करना/कराना सुनिश्चित करें।
- 6— कार्यालय आदेश पत्रावली।

(जितेन्द्र संक्षेप)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं/0 / बैसिक-04 / १५० य/अनिवार्य स्थानात्तरण / 2019-20 दिनांक २५ जून, 2019

आग्निवार्य श्वासनप्रवाह आदेश

अनिवार्य तथानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्थापना के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानिकनुसार जनपदान्तरणत राजकीय प्राथमिक विवाहयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-4 में अकित तेनामी स्थल पर उसी पद एवं वेतनकम में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्रमसंख्या	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	अनुच्छेद
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मी पश्चिमी	राजप्राधिकी बालिका उमा का०	राजप्राधिकी मुख्या, भटवाडी, उत्तरकाशी	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधिकानुसार उक्त स्थानान्तरित प्रशान्ताभ्यापकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निगत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
  - (2) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
  - (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तेनाती स्थल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  - (4) अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापकों नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तेनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकते तथा अपमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमत्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकते।
  - (5) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारांशित/टंकण बुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निगत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक रस्ता अधिकारी के प्रत्याखेत्र लेंगेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराते समय निम्नांकित विन्दुओं का परीक्षण किया जायेगा :-

- 1- स्थानान्तरित विद्यालय जहां तैनाती दी गयी है वह दुर्गम श्रेणी का विद्यालय हो।  
 2- विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त हो।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्राप्ति  
(जिलेन्द्र सक्सेना)

ਤੁਸੰਝਕ | ੩

1144

— १— सहानुदेशक विद्यालयी शिक्षा जनवर्षायाम देखायत्त

2- अपर निदेशक प्राथमिक शिक्षा गडवाय मुहूर्त पौर्णी।

3- मन्त्र शिक्षा अधिकारी उत्तराधिकारी।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी / समस्त उपकोषाधिका

५— समर्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तरक

करना / करना सुनिश्चित करें

६— कार्यालय आदेश पत्रावली ।

# कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं/बैसिक-04/ 141 /अनिवार्य स्थानान्तरण/ 2019-20 दिनांक 25 जून, 2019

## अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपदान्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-4 में अंकित तैनाती स्थल पर उसी पद एवं वेतनकम में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0सं0	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सुबोधनी जोशी (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० खट्टखाल	रा०उ०प्रा०वि० पैंथर, डुण्डा, उ०का०	
2	गिरीराज सिंह(विज्ञान)	रा०उ०प्रा०वि० तुनाल्का	रा०उ०प्रा०वि० पटांगणी, नौगांव, उ०का०	
3	रक्षा उप्रेती (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० बधाणगांव	रा०उ०प्रा०वि० कवागड़ी, चिन्यालीसौङ	
4	उर्मिला पवार (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० हिना	रा०उ०प्रा०वि० मुखवा, भटवाड़ी, उ०का०	
5	पुष्पा मटूडा (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० धरासू	रा०उ०प्रा०वि० खालसी, चिन्यालीसौङ	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :—

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती स्थल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन करेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराते समय निम्नांकित बिन्दुओं का परीक्षण किया जायेगा :—

- 1— स्थानान्तरित विद्यालय जहाँ तैनाती दी गयी है वह दुर्गम श्रेणी का विद्यालय हो।
- 2— विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त हो।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(जितेन्द्र सक्सेना)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्राठशि०

उत्तरकाशी।

पृ०सं०/ बैसिक-04/ 1807-12 / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 2— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3— मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4— वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उपकोषाधिकारी, जनपद—उत्तरकाशी।
- 5— समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार कढाई से पालन करना/कराना सुनिश्चित करें।
- 6— कार्यालय आदेश पत्रावली।

(जितेन्द्र सक्सेना)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्राठशि०

उत्तरकाशी।

# कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बैसिक-०४/ 142 /अनिवार्य स्थानान्तरण/ 2019-20 दिनांक २५ जून, 2019  
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपदान्तर्गत राजकीय प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-५ में अंकित तैनाती स्थल पर उसी पद एवं वेतनकम में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरण का आधार	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	जावेद खान	रा०प्रा०वि० फेडी	स्वयं की गम्भीर बीमारी	रा०प्रा०वि० गमदिङ्गांव, भटवाड़ी, उ०का०	—
2	एकादशी	रा०प्रा०वि० कोटगांव	मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता पिता	रा०प्रा०वि० खाबलीसेरा, पुरोला, उ०का०	—
3	शकुन्तला रावत	रा०प्रा०वि० हर्षिल	एकलोता पुत्र विकलांग	रा०प्रा०वि० बौन, डुण्डा, उत्तरकाशी	एकलोता पाल्य होने सम्बन्धि प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है (औपबन्धिक)
4	निर्मला कठैत	रा०प्रा०वि० पाला	पति—पत्नी के आधार पर	रा०प्रा०वि० मानपुर, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	(पति की सरकारी सेवा में कार्यरत होने सम्बन्धि प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं (औपबन्धिक)
5	भगवानी चौहान	रा०प्रा०वि० वजरी	स्वयं की गम्भीर बीमारी	रा०प्रा०वि० गंगाणी, नौगांव, उत्तरकाशी	—
6	छाया डोभाल	रा०प्रा०वि० बादसी	एकलोता पुत्र विकलांग	रा०प्रा०वि० भटवाड़ी धनारी, डुण्डा, उत्तरकाशी	एकलोता पाल्य होने सम्बन्धि प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है (औपबन्धिक)
7	कमला बधानी	रा०प्रा०वि० कुरोली	पति—पत्नी के आधार पर	रा०प्रा०वि० कुमाल्टी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	(पति की सरकारी सेवा में कार्यरत होने सम्बन्धि प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं (औपबन्धिक)
8	अनिल कुमार	रा०प्रा०वि० खमुण्डी मल्ली	स्वयं की गम्भीर बीमारी	रा०प्रा०वि० डामटा, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
9	अनिता चौहान	रा०प्रा०वि० भेटियारा	पति—पत्नी के आधार पर	रा०प्रा०वि० खरवां, डुण्डा, उत्तरकाशी।	—
10	पंकज पडियार	रा०प्रा०वि० मोल्डा	स्वयं की गम्भीर बीमारी	रा०प्रा०वि० कोटी भाट, डुण्डा, उ०का०	—
11	कुसुम चौहान	रा०प्रा०वि० खट्टखाल	पति—पत्नी के आधार पर	रा०प्रा०वि० पुजारगांव, डुण्डा, उत्तरकाशी।	(पति की सरकारी सेवा में कार्यरत होने सम्बन्धि प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं (औपबन्धिक)

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती स्थल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

(5) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ठंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन करेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराते समय निम्नांकित बिन्दुओं का परीक्षण किया जायेगा :—

- 1— विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त हो।
- 2— स्तम्भ-6 में अंकित जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं को औपबन्धिक तैनाती दी गयी है, उक्त कार्मिकों को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यभार मुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं से वांछित प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धितों को कार्यमुक्त किया जायेगा।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(जितेन्द्र सक्सेना)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रांशु

उत्तरकाशी।

पृ०सं०/ बैसिक-०४/ १८१३-१४

/ अनिवार्य स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 2— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3— मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4— वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उपकोषाधिकारी, जनपद—उत्तरकाशी।
- 4— समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार कढाई से पालन करना/कराना सुनिश्चित करें।
- 5— कार्यालय आदेश पत्रावली।

(जितेन्द्र सक्सेना)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रांशु

उत्तरकाशी।

# कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं० / बेसिक-०४ / १०३ / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक २५ जून, 2019  
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपदान्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-५ में अंकित तैनाती स्थल पर उसी पद एवं वेतनकम में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरण का आधार	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीमावती बिष्ट (भाषा)	रा०क०ज०हा० ब्रह्मखाल	स्वयं की विकलांगता	रा०क०उ०प्रा०वि० डांग, भटवाड़ी	-
2	श्री महावीर प्रसाद मिश्रा (विज्ञान)	रा०उ०प्रा०वि० उपलापांव	पुत्री की गम्भीर बीमारी/लाचारी	रा०उ०प्रा०वि० गैर, मुगरसन्ती, नौगांव, उत्तरकाशी।	-
3	नारायणदास राठोर (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० बुठोत्रा	पति—पत्नी के आधार पर	रा०उ०प्रा०वि० दणगांणगांव, मोरी, उत्तरकाशी।	(पत्नी की सरकारी सेवा में कार्यरत होने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं (औपबन्धिक)
4	मोहन लाल (सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० स्यालना	दुर्गम से दुर्गम	रा०उ०प्रा०वि० कामदा, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	-
5	पुरुषोत्तम प्रसाद नौटियाल (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० पौटी	सुगम से दुर्गम	रा०उ०प्रा०वि० कामदा, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	-
6	रश्मि पुरी (विज्ञान)	रा०क०उ०प्रा०वि० कोटबागी	पति—पत्नी के आधार पर	रा०उ०प्रा०वि० रौंतल, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।	-
7	रमेश प्रसाद खण्डूडी (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० दुईक	दुर्गम से दुर्गम	रा०उ०प्रा०वि० अगोडा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	-
8	सरिता रावत (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० धराली	सुगम से दुर्गम	रा०उ०प्रा०वि० नगाणगांव, नौगांव, उत्तरकाशी।	-
9	पिताम्बर दत्त भट्ट (भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० खरसाली	दुर्गम से दुर्गम	रा०उ०प्रा०वि० भैंत डुण्डा, उ०का०	-


वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :—

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती स्थल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु रथानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन करेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराते समय निम्नांकित बिन्दुओं का परीक्षण किया जायेगा :—

- 1— विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त हो।

- 2— स्तम्भ-८ में अंकित जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं को औपबन्धिक तैनाती दी गयी है, उक्त कार्मिकों को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यभार मुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धितों को कार्यमुक्त किया जायेगा।  
उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
(जितेन्द्र सक्सेना)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्राइवेट  
उत्तरकाशी।

पृष्ठ-01 / बेसिक-04 / 1019-25 / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 2— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3— मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4— वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उपकोषाधिकारी, जनपद—उत्तरकाशी।
- 4— समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार कढ़ाई से पालन करना/कराना सुनिश्चित करें।
- 5— कार्यालय आदेश पत्रावली।

  
(जितेन्द्र सक्सेना)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्राइवेट  
उत्तरकाशी।

# कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं० / बेसिक-०४ / १५५ / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक २५ जून, 2019

## अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपदान्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-४ में अंकित तैनाती स्थल पर उसी पद एवं वेतनकम में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बुद्धि सागर गौतम	रा०प्रा०वि० गुणगा	रा०प्रा०वि० आराकोट, मोरी, उत्तरकाशी।	—
2	शुशुम लता भट्ट	रा०प्रा०वि० सैंज	रा०प्रा०वि० पाणीगांव, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
3	विभा राणा	रा०प्रा०वि० संगलाइ	रा०प्रा०वि० कुरड़ा, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
4	मंजू पुरी	रा०प्रा०वि० कोटधार	रा०प्रा०वि० छाड़ा, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
5	रोहिताष सिंह	रा०प्रा०वि० मौताड़ II	रा०प्रा०वि० भड़कोट, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
6	साइन बानो	रा०प्रा०वि० कोटधार	रा०प्रा०वि० छतरीभानी, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
7	निर्मला कठैत	रा०प्रा०वि० पाला	रा०प्रा०वि० चमियारी, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
8	भागदर्झ नाथ	रा०प्रा०वि० कोट	रा०प्रा०वि० कोटी चड़ोत्रा, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
9	माधुरी जोशी	रा०प्रा०वि० जालंग	रा०प्रा०वि० खाल, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
10	चतर सिंह	रा०प्रा०वि० कामदा	रा०प्रा०वि० धिवरा, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
11	कमला बधानी	रा०प्रा०वि० कुरोली	रा०प्रा०वि० हुड़ोली बा०, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
12	अंजना रजवार	रा०प्रा०वि० ज्ञाणजा	रा०प्रा०वि० छटांगा, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
13	तेजपाल सिंह परमार	रा०प्रा०वि० भुयारा	रा०प्रा०वि० चुपल्या, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
14	राजेश पवार	रा०प्रा०वि० सिरी	रा०प्रा०वि० कुठाल्डी, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
15	फिरोजा	रा०प्रा०वि० मालना	रा०प्रा०वि० बरोल प्रथम, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
16	धनवीर सिंह बिष्ट	रा०प्रा०वि० पीपलखण्डा	रा०प्रा०वि० बड़ीमणी, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
17	विनोदनी चौहान	रा०प्रा०वि० देवल	रा०प्रा०वि० मुराडी, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
18	उषा पुरी	रा०प्रा०वि० भराणगांव	रा०प्रा०वि० डोखरियाणी, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
19	नीलम बिष्ट	रा०प्रा०वि० बागी	रा०प्रा०वि० मोल्टाडी, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
20	सुनील चौहान	रा०प्रा०वि० भराणगांव	रा०प्रा०वि० बरोल द्वितीय चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
21	अल्पना	रा०प्रा०वि० दुईक	रा०प्रा०वि० किम्मी, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
22	कमलेश पुरी	रा०प्रा०वि० अगोड़ा	रा०प्रा०वि० कोटी, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
23	राकेश प्रसाद अवस्थी	रा०प्रा०वि० डांगड़ा	रा०प्रा०वि० अनोल, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
24	सुखवीर सिंह असवाल	रा०प्रा०वि० मोरा	रा०प्रा०वि० उपराड़ी, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
25	राजेश्वरी	रा०प्रा०वि० कंसोला	रा०प्रा०वि० हिरालनी, पुरोला, उत्तरकाशी।	—
26	अनिता चौहान	रा०प्रा०वि० भिटियारा	रा०प्रा०वि० सिड़क, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
27	विजेन्द्र दत्त डिमरी	रा०प्रा०वि० क्वाडी	रा०प्रा०वि० पलेठा, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
28	मुकुन्द लाल नौटियाल	रा०प्रा०वि० क्वारी	रा०प्रा०वि० धनपुर, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
29	राजेन्द्र सिंह असवाल	रा०प्रा०वि० नगाणगांव	रा०प्रा०वि० गोना, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
30	जयकिशन सिंह	रा०प्रा०वि० पीपलखण्डा	रा०प्रा०वि० मौघ, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—
31	दिनेश कुमार गुप्ता	रा०प्रा०वि० शेरपुर	रा०प्रा०वि० बिसाठगांव, नौगांव, उत्तरकाशी।	—
32	रेखा राणा	रा०प्रा०वि० बगियालगांव	रा०प्रा०वि० जुर्याड़ा, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	—

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधिकानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक /अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त /ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित अध्यापक /अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तेनाती स्थल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डालमक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले अध्यापक /अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तेनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित अध्यापक /अध्यापिका हारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगमित /टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन करेगा।

उक्त के अनियन्त्रित स्थानान्तरित अध्यापक /अध्यापिकाओं को नवीन तेनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का परिष्कण किया जायेगा :-

- 1— स्थानान्तरित विद्यालय जहाँ तेनाती दी गयी है वह सुगम श्रेणी का विद्यालय हो।
- 2— विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त हो।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

*Signature*  
(जितेन्द्र सक्सेना)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रांशु

उत्तरकाशी।

पूर्णों / बेसिक-04 / **1025-30** / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक उत्तरवत।

- प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरकाशी, देहरादून।
  - 2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
  - 2— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
  - 3— सुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
  - 4— वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी /समस्त उपकोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
  - 4— समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार कठाई से पालन करना / करना सुनिश्चित करें।
  - 5— कार्यालय आदेश पत्रावली।

*Signature*  
(जितेन्द्र सक्सेना)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रांशु

उत्तरकाशी।

# कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-०४/ १५८ /अनिवार्य स्थानान्तरण/ 2019-20 दिनांक २६ जून, 2019

## अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपदान्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-४ में अंकित तैनाती स्थल पर उसी पद एवं वेतनकम में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०सं०	अध्यापक का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	नवीन स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सरत सिंह पवार(सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० बणगांव	रा०उ०प्रा०वि० स्यानाचट्टी, नौगांव,	—
2	मदन मोहन बिजल्वाण(भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० ग्योनोटी	रा०उ०प्रा०वि० बोंगा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	—
3	सुरेन्द्र दत्त नौटियाल(सामान्य)	रा०उ०प्रा०वि० भड़कोट	रा०उ०प्रा०वि० भद्रासू मोरी, उत्तरकाशी।	—
4	बिजेन्द्र सिंह रावत(भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० गंगनानी	रा०उ०प्रा०वि० खुरमोला, डुण्डा,	—
5	बालम सिंह भण्डारी(भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० कुमारकोट	रा०उ०प्रा०वि० जेमर, डुण्डा, उत्तरकाशी।	—
6	चतर सिंह (विज्ञान)	रा०उ०प्रा०वि० कामदा	रा०उ०प्रा०वि० बुठोत्रा, मोरी, उत्तरकाशी।	—
7	विजय लक्ष्मी चौहान(भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० पंजियाला	रा०उ०प्रा०वि० छतरीभानी, नौगांव,	—
8	विकम सिंह(भाषा)	रा०उ०प्रा०वि० निसमोर	रा०उ०प्रा०वि० भालसी, डुण्डा, उत्तरकाशी।	—

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :—

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये कार्यकों के द्वारा नवीन तैनाती स्थल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकायें नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के ०३ दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन करेगा।

उक्त के अतिरिक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराते समय निम्नांकित बिन्दुओं का परीक्षण किया जायेगा :—

- 1— स्थानान्तरित विद्यालय जहाँ तैनाती दी गयी है वह सुगम श्रेणी का विद्यालय हो।
- 2— विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त हो।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
(जितेन्द्र सक्सेना)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रापशि०  
उत्तरकाशी।

पृ०सं०/ बेसिक-०४/ १०३१ - ३५ / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 2— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3— मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4— वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी/समस्त उपकोषाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
- 4— समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार कढाई से पालन करना/कराना सुनिश्चित करें।
- 5— कार्यालय आदेश पत्रावली।

  
(जितेन्द्र सक्सेना)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रापशि०  
उत्तरकाशी।